कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. पेंशन/सुप्रीमकोर्ट/निर्णय/एचपीएम/2022/पार्ट दिनांक: 04.05.2023

सभी अपर के.भ.नि. आयुक्त, आंचलिक कार्यालय
सभी क्षे.भ.नि.आयुक्त/प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय

विषय- 15000 रुपये से अधिक वेतन पर पेंशन फंड में नियोक्ता के हिस्से से 1.16% बढ़ा हुआ अंशदान- संबंधी ।

महोदया / महोदय,

कृपया भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2061(ई) दिनांक 3 मई, 2023 (प्रतिलिपि संलग्न) देखें ।

2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (ख) उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना में निम्नलिखित को अधिसूचित किया गया है:

(i) उन सदस्यों के संबंध में जिन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैराग्राफ 11 के प्रावधानों के तहत अंशदान के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया है और जो पात्र हैं, उनके लिए नियोक्ता का अंशदान प्रत्येक सदस्य के मूल वेतन का नौ दशमलव चार नौ प्रतिशत (9.49%) महंगाई भत्ते और प्रतिधारण भत्ते में मौजूदा आठ दशमलव तीन तीन प्रतिशत (8.33%) से एक दशमलव एक छ: प्रतिशत (1.16%) की वृद्धि होगी; और

(ii) बढ़ा हुआ अंशदान मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ते पर उस सीमा तक लागू होगा जब मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता प्रति माह पंद्रह हजार रुपये से अधिक हो ।

3. उपर्युक्त 1 सितंबर, 2014 से लागू माना जाएगा ।

[यह अ.के.आ.-मुख्यालय (पेंशन) के अनुमोदन से जारी किया गया है]

भवदीया,

ह./-
(अपराजिता जग्गी)
क्षेत्रीय भ° नि° आयुक्त-I (पेंशन)

प्रतिलिपि :-

1. कें.भ.नि.आ. के नि.स.
2. वित्तीय एवं मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, निदेशक पीडीनास, सभी आं.प्र.सं.
3. अ.के.आ. (मुख्यालय) (सूचना सेवा) –सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. सभी अ.के.आ. (मुख्यालय) एवं अ.के.आ., मुख्यालय